फर्द अहकाम

सायरी बनाम पार्वती वगै०

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

केस संख्या 92/2019

धारा

क्र० संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		अतः प्रा०पत्र 06 R17 व 151 CPC स्वीकार किया जाकर वाद के अनुतोष के अन्तिम पैरा में रमेश के स्थान पर सायरी पुत्री [illegible] दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तुरन्त करवाई का अंकन लाल स्याही में वाद-पत्र के अन्तिम अनुतोष पैरा में किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली वास्ते बहस दि० 9/12/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू	
	9/12/19	वकील पक्षकारान उप०। वकील अप्रार्थीगण ने बहस करना जाहिर किया। वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 16/12/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू	
	16/12/19	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत थी। वकील पक्षकारान उप०। आदेश सुनाया गया। वादिया का वाद डिक्री किया जाकर दर्ज खातेदार सायरी के स्थान पर सायरी, पारो के स्थान पर पार्वती, सरोज के स्थान पर सरोज [illegible] मैना के स्थान पर मनीषा दर्ज किया जाता है। पृथक डिक्री जारी हो। बिहार निर्णय पृथक से लिखा जाकर आ०मि० किया गया। पत्रावली कौशल कुमार होला नम्बर में जमा हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू	

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 92 / 2019
रज्जु दिनांक : 26 / 07 / 2019
निर्णय दिनांक : 16/12/2019

सायरा पुत्री स्व0 धन्ना पत्नी मिश्रीलाल, जाति खटीक, निवारी ग्राम बिचून, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर हाल निवारी दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- वादीया

बनाम

1. पार्वती पुत्री स्व0 धन्ना पत्नी रतनलाल, जाति खटीक, निवासी ग्राम बिचून, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0 हाल निवासी अरबुदा नगर अहमदाबाद, जिला अहमदाबाद गुजरात।
2. सरोज पुत्री स्व0 धन्ना पत्नी प्रहलाद, जाति खटीक, निवासी ग्राम बिचून, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0 हाल निवासी शिवपाल सोसायटी रामराज्य नगर, जीवनप्रकाश स्कूल के सामने, अहम दाबाद शहर जिला अहमदाबाद।
3. मनीषा पुत्री स्व0 धन्ना पत्नी रमेश, जाति खटीक, निवासी ग्राम बिचून, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0 हाल निवासी 66 साखलपुर, न्य अमराई बाडी अहमदाबाद शहर, जिला अहमदाबाद।
4. तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रतिवादीगण

वाद–पत्र बाबत घोषणात्मक

उपस्थिति – श्री कन्हैयालाल माली
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

श्री ओमप्रकाश तंवर
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीनीगण सं.1ल.3

प्रतिवादी सं.4 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 16/12/2019

–: निर्णय :–

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2070 लगायत 2073 के आराजी खाता संख्या 47 के आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 0.76 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर जो वाके ग्राम कैरिया पटवार हल्का हल्का मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी वादीया एवं प्रतिवादीया संख्या 1 ल0 3 खातेदार काश्तकार है। मौके पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त होकर लगान सरकारी अदा करते आ रही है। उपरोक्त आराजीयात पूर्व राजस्व रिकार्ड में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल0 3 के पिता स्व0 धन्नालाल के कब्जे काश्त की आराजीयात रही है तथा अपने जीवनकाल में स्व0 धन्नालाल काबिज काश्त रहे उनके मृत्यु उपरान्त उक्त आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादीया संख्या 1 ल0 3 की माता भूरीदेवी बेवा धन्ना के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही तथा स्व0 भूरी के स्वर्गवास होने के उपरान्त उपरोक्त आराजीयात का फौती नामान्तरकरण विधिक वारिशान वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल0 3 होने के कारण ना0स0 50 के रूप में वादीया एवं प्रतिवादीया संख्या 1 ल. 3 के हक में खोला गया। वादीया एवं प्रतिवादीया संख्या 1 ल0 3 सगी बहिने तथा वरवक्त नामान्तरकरण घर पर वादीया को सारा एवं वादीया की बहिन पार्वती को पारा एवं सरोज का सरोल एवं मनीषा को मन्शा प्रेमपूर्वक पुकारा जाता था, परन्तु समस्त सरकारी एवं गैरसरकारी दस्तावेजों में वादीया का नाम सायरा एवं अन्य बहिनों का नाम क्रमशः पार्वती, सरोज एवं मनीषा के नाम से है तथा उक्त अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन होना चाहिये था परन्तु उक्त नामान्तरकरण जो खोला गया तथा उसका राजस्व रिकार्ड में अमल किया गया, उसमें सहवन से वादीया का नाम सारा एवं बहिनों का नाम पार्वती के स्थान पर पारा, सरोज के स्थान पर सरोल तथा मनीषा के स्थान पर मन्शा दर्ज कर दिया गया जो गलत है तथा वादीया विधि अनुसार उक्त राजस्व रिकार्ड में हुयी त्रुटि को दुरूस्त करवाने की अधिकारी हैं। दिनांक 23/07/2019 में सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि राशि हेतु वादीया द्वारा जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटि की जानकारी हुई, जिस पर वादीया के द्वारा तहसीलदार महोदय से सम्पर्क कर दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तो श्रीमान तहसीलदार महोदय के द्वारा न्यायालय में चाराजोंही की हिदायत दी गयी, इसलिये वाद बाबत घोषणा पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) चूरू

Scanned by CamScanner

वादीया ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादीया का नाम सारा को हजफ फरमाया जाकर सायरा पुत्री धन्ना एवं प्रतिवादीया संख्या 1 पारा को हजफ फरमाया जाकर पार्वती पुत्री धन्ना एवं सरोल को हजफ फरमाया जाकर सरोज पुत्री धन्ना एवं मन्शा को हजफ फरमाया जाकर मनीषा पुत्री धन्ना दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें। पालनार्थ तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 19/11/2019 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री ओमप्रकाश तंवर एडवोकेट ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पेरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 04/12/2019 को वकील वादी द्वारा गवाह शपथ–पत्र पी. डब्ल्यू 1 सायरा, पी.डब्ल्यू 2 हीरालाल व पी.डब्ल्यू 3 पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व 151 जा0 दी0 पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी जाकर न्यायहित में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया। वांछित संशोधन लाल स्याही से करने के आदेश दिये गये। वकील वादी ओर साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073, नकल नामान्तरकरण संख्या 50, दस्तावेजात मृत्यु प्रमाण–पत्र, दस्तावेजात आधारकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, ईकबालिया जवाबदावा एवं साक्ष्य गवाहान तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत से 2070 से 2073 के खाता संख्या 47 में खातेदार पारा, सारा, सरोल, मंशा पुत्रीयां धन्ना कौम खटीक सा0 देह खातेदार दर्ज है, जबकि वादीया ने अपना वाद–पत्र पेश कर पारा के स्थान पर पार्वती, सारा के स्थान पर सायरा, सरोल के स्थान पर सरोज एवं मंशा के स्थान मनीषा दर्ज करवाना चाहा हैं। वादीया द्वारा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)

प्रस्तुत दस्तावेजात राशनकार्ड, पहचान-पत्र, आधारकार्ड आदि में पार्वती, सायरा, सरोज एवं मनीषा ही दर्ज है एवं कार्यालय ग्राम पंचायत बिचून द्वारा जारी प्रमाण-पत्र क्रमांक 2019-20/52 दिनांक 03/06/2019 के अनुसार सारा को सायरा, पारा को पार्वती, सरोल को सरोज एवं मंशा को मनीषा के नाम पहचाना जाना अंकित किया है, जिससे यह पाया जाता है कि विवादित आराजीयात जो वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 को विरासत से प्राप्त हुई है, उसमें वरवक्त विरासत वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 का घर पर बोलता नाम अंकित कर दिया गया जो मात्र एक आम बोलचाल की भाषा में व लिपिकीय त्रुटि से हुआ है, जो दुरूस्ती की श्रेणी में आता है। वादीया द्वारा प्रस्तत साक्ष्य गवाहान से भी वादीया के वाद की ताईद होती हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 ने इकबालिया जवाबदावा पेश कर वादीया के वाद को स्वीकार किया है एवं डिक्री किये जाने बाबत सहमति प्रदान की हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीया का वाद डिकी किया जाकर दुरूस्ती इन्द्राज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीया का वाद डिकी किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 0.76 हैक्टेयर वाके ग्राम कैरिया, तहसील मौजमाबाद में दर्ज खातेदार सारा के स्थान पर सायरा, पारा के स्थान पर पार्वती, सरोल के स्थान पर सरोज एवं मंशा के स्थान पर मनीषा दर्ज किया जाता हैं। पर्चा डिकी जारी। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
(मुख्यालय) जयपुर राज0।

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन ... ऑनलाइन डिग्री

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुकाम दूदू (जयपुर)

...श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत R.A.S.

...सारा पुत्री स्व० पन्ना पत्नी मिश्रीलाल नाम पार्वती पुत्री स्व. पन्ना पत्नी रतनलाल, जाति खटीक ...जाति खटीक, नि० बिचून ...मौजमाबाद हाल नि० ... तह० दूदू (जयपुर) दावा बाबत घोषणात्मक नि० ग्राम बिचून, तह० मौजमाबाद हाल नि० सरखुदा नगर अहमदाबाद (गुजरात) व अन्य

मुकदमा नं. 92 सन 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कन्हैयालाल मानी

...जारी ... मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री ओमप्रकाश तंवर प्रति० क्र० 1 ता 3 प्रति० सं० 4 पैरोकार उप०

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

...किया जा कर डिक्री दिया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 164 रकबा 0.76 हे० ... ग्राम बिचून, तह० मौजमाबाद में दर्ज खातेदार सारा के स्थान पर सायरा, धारा के स्थान पर पार्वती, मनोज के स्थान पर सरोज देवी, मंता के स्थान पर मनीषा दर्ज किया जाता है।

...ज ... मुबलिग ... बाबत ...

...जो इस मुकदमें के गय सूद बशरह ... फीसदी ... आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक ... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 12 सन् 19 को

जारी की गई।

दस्तखत [signature]

मुहर [stamp: सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू] ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुताफरिक		
मुताफरिक					
मीजान			मीजान		

Scanned by CamScanner